बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संoसंo—17/विविध—01—105/2024 — 670(17)   पटना, दिनांक—24/06/2025

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—640(1), दिनांक—24.09.2024 के द्वारा राज्य के चिकित्सा संस्थानों से Post MBBS DNB, Post Diploma DNB एवं Post MBBS Diploma उत्तीर्ण छात्रों पर लागू विभागीय संकल्प संख्या—450(1), दिनांक—15.04.2017 सह—पठित शुद्धि पत्र संख्या—479(1), दिनांक—26.04.2017 के आलोक में राज्य में तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध—पत्र (बॉण्ड) के अंतर्गत निम्नांकित चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—04 में अंकित चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है :—

क्रo संo	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4
01	डाo ए आशिक मोहम्मद, निश्चेतना (Post MBBS DNB)	31.08.1993	सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर। (प्रतिनियुक्त एचoबीoसीoएचoआरoसीo मुजफ्फरपुर)

2. उक्त पदस्थापित चिकित्सक से उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सामान्य चिकित्सीय कार्यो के साथ—साथ विशेषज्ञ चिकित्सक का कार्य भी लिया जाय।
3. उक्त चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—4 में पदस्थापित चिकित्सा संस्थान मे पत्र निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर योगदान समर्पित करना आवश्यक होगा।
4. इनका यह नियोजन किसी भी रूप मे नियमित नियोजन नहीं माना जायेगा।
5. राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानो में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित चिकित्सक को मानदेय का भुगतान विभागीय पत्र संख्या—881(1), दिनांक—27.09.2022 द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार 85,000/—(रूपये पचासी हजार) प्रतिमाह देय होगा, जिसका भुगतान संबंधित चिकित्सा संस्थान के कार्यालय के बजट शीर्ष 28—02 संविदा सेवाएँ मद से किया जायेगा।
6. उक्त चिकित्सक का नियोजन विभागीय संकल्प संख्या—450(1), दिनांक—15.04.2017 के आलोक में तीन वर्षो के बॉण्ड अवधि के लिये किया जा रहा है। इन्हें आकास्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश को छोडकर अन्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा।
7. स्वास्थ्य विभागीय पत्राक—881(1), दिनांक—27.09.2022 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पीoजीo/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों से बंध—पत्र के अधीन राज्य सरकार के अधीन तीन वर्षीय अनिवार्य सेवा हेतु सृजित फ्लोटिंग पदों के विरूद्ध चिकित्सा संस्थान आवंटित किया गया है।
8. बंधेज पत्र के अनुसार तीन वर्षो की बॉन्ड अवधि की समाप्ति के उपरांत चिकित्सा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गये तीन वर्षो की अवधि की गणना के प्रमाणीकरण के पश्चात् संबंधित चिकित्सा संस्थान के द्वारा चिकित्सक का प्रमाण—पत्र उन्हे लौटा दिया जायेगा।
9. संबंधित चिकित्सक पदस्थापित स्थान पर योगदान करने के उपरांत विरमित होकर प्रतिनियुक्ति स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। इनके वेतन भुगतान की कार्रवाई होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल पदस्थापित चिकित्सा संस्थान से किया जायेगा।
10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

(12)

ज्ञापांक :–17/विविध–01–105/2024 – 670(17) पटना, दिनांक– 24/06/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवं0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी ,वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/प्राचार्य एवं अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य–चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सबंधित जिला के जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डॉ0 रविकान्त सिंह, कार्यालय प्रभारी, सहायक प्राध्यापक निवारक ऑकोलॉजी, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि :– संबंधित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि :– माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 24/06/25

विशेष कार्य पदाधिकारी।